माननीय न्यायधीस एम.एम. कुमार और टी.पी.एस. मान के समक्ष

डी. ए. वी कॉलेज ट्रस्ट और प्रबंधन सोसाइटी व अन्य – याचिकाकर्ता

बनाम

लोक शिक्षण निदेशक व अन्य, – उत्तरदायी

सी . डबल्यू.पी 2008 की संख्या 2626

25 फरवरी, 2008

भारत का संविधान, 1950 – कला. 226 – सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005-S.2 (h) (d) – डी. ए. वी संस्थानों को पर्याप्त अनुदान प्राप्त हुआ-सरकार से सहायता – क्या अभिव्यक्ति 'सार्वजनिक प्राधिकरण' के भीतर आती है जैसा कि एस 2 (एच) (डी) – हेल्ड, हाँ – 'जनता की परिभाषा' में इस्तेमाल किया गया है प्राधिकरण 'में किसी भी संगठन / निकाय का स्वामित्व, नियंत्रित या शामिल है द्वारा प्रदान की गई धनराशि द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित सरकार – याचिका खारिज.

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सार्वजनिक प्राधिकरण' की परिभाषा का एक अनुमान दिखाता है उस 'सार्वजनिक प्राधिकरण' का अर्थ किसी भी प्राधिकरण या निकाय या संस्था से होगा स्थापित या से अलग किया गया अधिसूचना द्वारा अन्य चीजें उपयुक्त सरकार द्वारा किए गए आदेश द्वारा जारी किया गया. इसे शामिल करना है यहां तक कि किसी भी निकाय के स्वामित्व, नियंत्रित या काफी वित्तपोषित या गैर-सरकारी संगठन ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त रूप से वित्त पोषण किया उपयुक्त सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि से. यह निर्विवाद है याचिकाकर्ताओं को सहायता से पर्याप्त अनुदान प्राप्त हो रहा है चंडीगढ़ प्रशासन. एक बार जब एक शरीर द्वारा काफी हद तक वित्तपोषित किया जाता है सरकार, ऐसे निकाय के कार्य चरित्र का हिस्सा हैं `सार्वजनिक प्राधिकरण'. अभिव्यक्ति की परिभाषा 'सार्वजनिक प्राधिकरण' ही दिखाता है कि 'सार्वजनिक प्राधिकरण' में कोई भी संगठन / निकाय शामिल होगा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व, नियंत्रित या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित सरकार या गैर-सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि संगठन जो काफी हद तक वित्तपोषित है. याचिकाकर्ता ने दावा किया है शुरू में स्वीकार करने के बाद उन्हें केवल 45% अनुदान-सहायता

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा ।

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

हरियाणा

मिल रही है उन्हें दी जाने वाली सहायता राशि 95% तक थी%. अगर खाते पर सरकार की नीति 95% की सीमा तक अनुदान-सहायता है शुरू में याचिकाकर्ता को अपना निर्माण करने की अनुमति दी गई थी बुनियादी ढाँचा और अनुदान-सहायता को बाद में कम करने से इस तर्क का परिणाम नहीं होगा कि कोई पर्याप्त अनुदान-सहायता प्राप्त नहीं हुई है और इसलिए, इसे 'सार्वजनिक प्राधिकरण' नहीं माना जा सकता था'. इसलिए, हमें याचिकाकर्ता के इस रुख में कोई दम नजर नहीं आता कि वह 'सार्वजनिक प्राधिकरण' नहीं है।

(पैरा 5)

टी.एस. ढिंडसा, एडवोकेट याचिकाकर्ताओं के लिए.

न्यायधीश एम . एम कुमार

1) इस याचिका में उठाया गया संक्षिप्त मुद्दा यह है कि क्या डी. ए. वी.कॉलेज, सेक्टर 10, चंडीगढ़ को 'सार्वजनिक' माना जा सकता है सूचना के अधिकार की धारा 2 (एच) (डी) के अर्थ के भीतर प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (संक्षिप्तता 'अधिनियम' के लिए).
2) डी. ए. वी के नाम वाले कॉलेज हैं. डी.ए.वी. कॉलेज, सेक्टर 10, चंडीगढ़, एम.सी.एम. डी.ए.वी. कॉलेज, सेक्टर 36, चंडीगढ़ और डी.ए.वी. के नाम से एक स्कूल। सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर 8, चंडीगढ़। ये संस्थान सोसायटी द्वारा स्थापित किए गए हैं और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ से 95% की सीमा तक वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। यह दावा किया गया है कि सहायता अनुदान प्रारंभ में 95% की सीमा तक था जो घटकर 45% हो गया है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रसारित शिकायत यह है कि सार्वजनिक निर्देश निदेशक, यू.टी., चंडीगढ़ ने अधिनियम के तहत याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही शुरू की है, जबकि याचिकाकर्ता धारा 2 (एच) (डी) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'सार्वजनिक प्राधिकरण' के अंतर्गत नहीं आते हैं। अधिनियम का. दावा किया गया है कि याचिकाकर्ताओं को सरकार या सरकारी संसाधनों से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाला नहीं माना जा सकता है। याचिकाकर्ता क्रमांक 4 अर्थात डी.ए.वी. के संबंध में। सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर 8, चंडीगढ़, प्रतिवादी नंबर 2, - आदेश दिनांक 10 अक्टूबर, 2001/3 दिसंबर, 2007 (अनुलग्नक पी/एल) ने पहले ही अपनी राय व्यक्त कर दी है कि यह धारा के अर्थ में एक

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा ।

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

हरियाणा

'सार्वजनिक प्राधिकरण' है अधिनियम की धारा 2(एच)(डी). जनता के सदस्यों ने लोक सूचना अधिकारी को आवेदन देकर याचिकाकर्ताओं से जानकारी मांगी थी। 25 सितंबर, 2007 (अनुलग्नक पी.2) को, अरुण अग्रवाल, प्रतिवादी संख्या 5 ने डीएवी द्वारा प्रस्तावित विभिन्न कक्षाओं/कार्यक्रमों/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों/ऐड-ऑन पाठ्यक्रमों के लिए वार्षिक शुल्क संरचना के बारे में जानकारी मांगी है। सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर 10, चंडीगढ़ समेत कई अन्य जानकारियां। इसी तरह, 26 सितंबर, 2007 (अनुलग्नक पी.3) को, श्री अवनींद्र चोपड़ा, प्रतिवादी संख्या 6, ने डीएवी द्वारा जारी विज्ञापन/नोटिस से संबंधित जानकारी की आपूर्ति के लिए अनुरोध किया है। सत्र 2007-08 के लिए कॉलेज प्रवेश के संबंध में माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर 10, चंडीगढ़। सतपाल खारवाल, प्रतिवादी संख्या 7 ने 26 फरवरी, 2007 को (अनुलग्नक पी.4) भी कुछ जानकारी की आपूर्ति के लिए अनुरोध किया था। हालाँकि, याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी संख्या 5 को भेजे गए अपने जवाब में यह रुख अपनाया है कि अधिनियम उनकी संस्था पर लागू नहीं होता है क्योंकि यह एक 'सार्वजनिक प्राधिकरण' नहीं है। 10 सितंबर, 2007 को प्रतिवादी नंबर 1 ने याचिकाकर्ता को अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने की सलाह दी क्योंकि याचिकाकर्ता को चंडीगढ़ प्रशासन से 95% सहायता अनुदान मिल रहा है।

प्रतिवादी नंबर 1 का विचार निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया गया है:

"उपरोक्त प्रावधानों के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि डी.ए.वी. कॉलेज, चंडीगढ़ एक सहायता प्राप्त कॉलेज है, जिसे चंडीगढ़ प्रशासन से 95% सहायता अनुदान मिलता है, जिसे सरकार द्वारा नियंत्रित और पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाता है और इस प्रकार कॉलेज अधिकारी अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य हैं।

हम पारदर्शिता और जवाबदेही के युग में काम करते हैं और यह उम्मीद की जाती है कि हमारे सभी निर्णय सार्वजनिक जांच की कसौटी पर खरे उतरें। विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए वार्षिक शुल्क संरचना, अवकाश नकदीकरण, अंशदायी भविष्य निधि कटौती आदि से संबंधित मुद्दे अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों में शामिल नहीं हैं जो जानकारी के प्रकटीकरण से छूट प्रदान करता है।

अन्यथा भी, वार्षिक शुल्क संरचना, प्रॉस्पेक्टस का एक अभिन्न अंग होने के नाते, सभी के लिए खुली है, इस पर जानकारी रोकना अनुचित होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा ।

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

हरियाणा

3) इसी तरह के निर्देश केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, प्रतिवादी संख्या 1 के कार्यालय द्वारा याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी संख्या 5, 6 और 7 (अनुलग्नक पी.8 से पी.10) को जानकारी प्रस्तुत करने के लिए जारी किए गए हैं।

4) हमने विद्वान वकील को काफी विस्तार से सुना है और पाया है कि याचिकाकर्ता अधिनियम की धारा 2 (एच) (डी) द्वारा प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'सार्वजनिक प्राधिकरण' के दायरे में आते हैं। उपर्युक्त प्रावधान को संदर्भ की सुविधा के लिए यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है: "2. परिभाषाएँ। इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।- XX XX XX XX XX XX (ज) 'सार्वजनिक प्राधिकरण' का अर्थ है स्थापित या गठित स्वशासन का कोई प्राधिकरण या निकाय या संस्थान, - (ए) से (सी) xx xx xx xx (डी) उपयुक्त सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश द्वारा, और इसमें कोई भी शामिल है- (i) स्वामित्व वाली, नियंत्रित या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित संस्था; (ii) गैर-सरकारी संगठन, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयुक्त सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित हो।

5) 'सार्वजनिक प्राधिकरण' की परिभाषा के अवलोकन से पता चलता है कि 'सार्वजनिक प्राधिकरण' का अर्थ उचित सरकार द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा अन्य चीजों से अलग स्थापित या गठित कोई प्राधिकरण या निकाय या संस्थान होगा। इसमें स्वामित्व वाली, नियंत्रित या पर्याप्त रूप से वित्त पोषित किसी भी संस्था या उपयुक्त सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान की गई धनराशि से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित गैर सरकारी संगठन भी शामिल है। यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ताओं को चंडीगढ़ प्रशासन से पर्याप्त अनुदान सहायता प्राप्त हो रही है। एक बार जब किसी निकाय को सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित किया जाता है, तो ऐसे निकाय के कार्य 'सार्वजनिक प्राधिकरण' के चरित्र का हिस्सा बन जाते हैं। अभिव्यक्ति 'सार्वजनिक प्राधिकरण' की परिभाषा स्वयं दर्शाती है कि 'सार्वजनिक प्राधिकरण' में सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व, नियंत्रित या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित कोई भी संगठन/निकाय शामिल होगा या यहां तक कि गैर-सरकारी संगठन भी शामिल होगा जो पर्याप्त रूप से वित्तपोषित है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उन्हें केवल 45% अनुदान सहायता मिल रही है, यह स्वीकार करने के बाद कि शुरू में उन्हें भुगतान की गई अनुदान सहायता 95% की सीमा तक थी। यदि सरकार की नीति के कारण 95% की सीमा तक अनुदान सहायता, जो शुरू में दी गई थी, याचिकाकर्ता को अपने बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की अनुमति देती है और बाद में सहायता अनुदान को कम कर देती है, तो इस तर्क का परिणाम नहीं होगा कि कोई पर्याप्त अनुदान सहायता प्राप्त नहीं होती है और इसलिए इसे 'सार्वजनिक

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा ।

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

हरियाणा

प्राधिकरण' नहीं माना जा सकता है। इसलिए, हमें याचिकाकर्ता द्वारा अपनाए गए रुख में कोई तथ्य नहीं मिला कि यह एक 'सार्वजनिक प्राधिकरण' नहीं है।

6) मामले का एक और पहलू भी है. एक अन्य संदर्भ में, रवनीत कौर बनाम द क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, लुधियाना (1) के मामले में इस न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ ने इस सवाल पर विचार किया है कि क्या दयानंद मेडिकल कॉलेज, लुधियाना या ईसाई जैसी निजी संस्था द्वारा निर्वहन किए जाने वाले कार्य मेडिकल कॉलेज, लुधियाना सार्वजनिक समारोह या निजी समारोह हैं। पूर्ण पीठ ने यह विचार किया है कि चूंकि संस्थाएं सार्वजनिक कार्यों का निर्वहन करती हैं, इसलिए इसे विशेषाधिकार रिट सहित निर्देश जारी करने में न्यायालय की शक्तियों को सीमित करने वाला एक निजी व्यक्ति नहीं माना जा सकता है। आगे यह माना गया है कि किसी भी वित्तीय सहायता के बावजूद शिक्षा प्रदान करना एक सार्वजनिक कार्य है। एक बार जब याचिकाकर्ताओं जैसी संस्थाएं समाज के एक बड़े वर्ग के जीवन को प्रभावित करने वाले सार्वजनिक कार्य कर रही हैं और इसके अलावा पर्याप्त अनुदान सहायता भी प्राप्त कर रही हैं तो यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि यह एक 'सार्वजनिक प्राधिकरण' नहीं है। इसलिए, रवनीत कौर के मामले (सुप्रा) में विस्तृत अतिरिक्त कारण के लिए, रिट याचिका टिक नहीं पाएगी और उठाए गए सवाल का जवाब याचिकाकर्ताओं के खिलाफ देना होगा।

7) कोई अन्य तर्क आगे नहीं बढ़ाया गया है।

8) उपर्युक्त कारणों से यह याचिका विफल हो जाती है और इसे खारिज कर दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा ।

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

हरियाणा